this effect was lodged by the correspondence clerk of the Station Master, Meerut City on 14.1.1969 at Police Station, Railway Road, Meerut City.

(b) An enquiry by Railway does not arise as the report was lodged with the Police.

(c) to (e). Transfers of certain employees were ordered or contemplated by the Railway but have not been so for effected. The matter is under consideration still.

लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे) में भण्डारों की लेखा परीक्षा

4406. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965, 1966 और 1967 में हुए कुम्भ मेले से सम्बन्धित लगभग एक लाख रुपये के भण्डारों का, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जमैन तथा डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे) के अधीन थे, विस्तृत लेखा क्या है;

(ख) कब और किस तारीख से इसकी लेखा परीक्षा की गई और क्या किसी गंभीर दुर्विनियोग का पता लगा था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या भाग (क) में उल्लिखित भण्डारों की कोई विशेष लेखापरीक्षा की जायेगी और सभा पटल पर एक प्रति रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लखनऊ डिवीजन के डिवीजनल इलैक्ट्रिकल इंजीनियर तथा इलैक्ट्रिकल चार्जमैन

4407. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के डिवीजन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों तथा इलैक्ट्रिकल चार्ज मैनों के लखनऊ में एक स्थान पर ठहरने की कुल अवधि का यौरा क्या है;

(ख) इन अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार एक स्थान पर ठहरने की क्या अत्यधिक सीमा निर्धारित की गई है और जो अधिकारी इस निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हैं उन के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

शटल गाड़ियों में बुक किये गये टमाटरों के पार्सलों का देर से पहुंचना

4408. **श्री तुकाराम गेविट** : क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके अपने वक्तव्य के अनुसार उक्त पार्सल अगले दिन 5 बज कर 30 मिनट पर अजमेर पहुंचे थे और उनको 14 डाउन गाड़ी से ले जाने के लिए चार दिन तक वहां रखा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति दिन लगभग दस यात्री गाड़ियां अजमेर से दिल्ली के लिए चलती हैं;

(ग) यदि हां, तो पार्सलों को 7 अप्रैल, 1966 को केवल 14 डाउन गाड़ी द्वारा ले जाये जाने के लिए रख छोड़ने के और उनको उससे पूर्व किसी अन्य गाड़ी द्वारा न भेजने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पार्सलों को चार दिन के लिए रख छोड़ना रेलवे की लापरवाही नहीं है;

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने स्वयं 80 प्रतिशत हानि का अनुमान लगाया है; और

(च) रेलवे द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र को तथा इसके फलस्वरूप पड़ने वाले दायित्व को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) यह सच नहीं है। इन परेषणों वाला पार्सल यान 4-4-1966 को 5-10 बजे अजमेर पहुंचा और उसी दिन 14 डाउन से आगे रवाना कर दिया गया। इसे चार दिन तक अजमेर में नहीं रोका गया लेकिन यह दो दिन तक दिल्ली यार्ड में रुका रहा।

(ख) जी नहीं। 3 डाक / एक्सप्रेस और 2 सवारी गाडियां हैं जो रोजाना अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) किसी भी स्थान पर यह यान चार दिनों तक नहीं रूका रहा। दिल्ली यार्ड में दो दिन की जो देर हुई, उसमें हो सकता है, कुछ लापरवाही हुई हो, लेकिन इस समय इसका निश्चित रुप से सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(ङ) जी हां।

(च) मूल्यांकन केवल सुपुर्दगी के समय माल को हुई क्षति का पता लगाने और उसका सत्यापन करने के लिए किया जाता है। क्षति कितनी हुई, यह केवल एक तथ्य का प्रश्न है। मूल्यांकन के आधार पर सुपुर्दगी की मंजूरी देने और कितनी क्षति हुई इसका प्रमाण-पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि दायिता स्वीकार कर ली गयी। दायिता तो बाद में दावा निबटाने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों को देखते हुए और सम्बन्धित कानून के आधार पर निश्चित की जाती है।

इस मामले में, दिल्ली यार्ड में यान के दो दिन रुके रहने के बावजूद रास्ते की दूरी को देखते हुए परेषणों के परिवहन में लगा समय अधिक नहीं है, अतः दायिता स्वीकार नहीं की गयी।

12.28 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ABOLITION OF WEST BENGAL LEGISLATIVE COUNCIL

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Sir, I call the attention of the Minister of Law to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

> "The resolution passed by the West Bengal Legislative Assembly to abolish the West Bengal Legislative Council."

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Mr. Speaker, Sir, under Article 169 (1) of the Constitution, if the Legislative Assembly of a State passes a resolution providing for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, and with the required majority, Parliament may by law provide for the abolition or the creation of a Council as the case may be. No such law shall be deemed to be an amendment of the Constitution.

On receipt of the resolution reported to have been passed by the Legislative Assembly of the State of West Bengal, Government will take up the matter for suitable action.

SHRI S. K. TAPURIAH : There is no doubt that lofty ideas and good intentions